

4

2021  
115

सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

App. A  
Crim - I

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
111-128 2200X	102/21	8/4/21	सरडाणा	4 फैसल 20/5/22		10-6-21 12/8/21 28/10/21 18/1/22 12/4/22 24/06/22

अनवान



श्री अबुल समद खा पटन गा बनाम श्री परवीन कानु पटन गा  
मि सरडाणा मि सरडाणा

निगराकार / प्रार्थी / अपी.

अप्रार्थी / रेष्यो.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

App. A

Crim - I

# न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

इब्दुल समद खावाका बनाम परवीन बागु अल

दमा 11/128 नं. 102 सन् 2021

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

वकील शर्मा द्वारा शर्मा पत्र अन्तर्गत धारा 111/28

विरुद्ध विपरीत पेश किया गया। शर्मा पत्र बाद जॉच

दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपरीत की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक

10/6/21 को पेश हो।

10/6/21

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन  
अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें  
हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश  
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 12/8/21 को पेश हो।


आज्ञा से  
रीडर

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन  
अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें  
हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश  
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 28/10/21 को पेश हो।

28/10/21

आज्ञा से  
रीडर

अब्दुल

तारीख हुक्म 102 / 2021	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20 <sup>05</sup> / <sub>22</sub>	<p>पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान फोलोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट सरदारनगर पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सरदारनगर जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से पत्थरगढी/सीमांकन से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ोसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">   उपखण्ड अधिकारी  बनेड़ा </p>	

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर - 102 /2021 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

- 1- अब्दुल समद खां पिता मो0 रोशन खा पठान निवासी हाल सरदारनगर
- 2- निशा बालु पत्नी निजामुदीन खा पठान निवासी हाल सरदारनगर
- 3- हाजरा बेगम पुत्री मो0 रोशन खा पठान निवासी हाल सरदारनगर

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1-3 परवीन बानु, मुस्कान, रसीदा बानु पिता अब्दुल कयुम खा पठान निवासी हाल सरदारनगर
- 4- शंकर लाल पिता काना कुमावत निवासी हाल सरदारनगर
- 5- शहनाज बेगम पत्नी अब्दुल कयुम खा पठान निवासी हाल सरदारनगर
- 6-7 शाहरूख खा, सिकन्दर खा पिता अब्दुल कयुम खा पठान निवासी हाल सरदारनगर
- 8- हरि लाल पिता घीसु लाल कुमावत निवासी हाल सरदारनगर
- 9-17 अब्दुल रहमान, आबेदा बानु, आशिया बानु, जुबेदा बानु, तब्बसुम, वसीम बानु, बरकत खा, रसीदा बानु, रहमत तुला खा पिता शहाबुदीन उर्फ नानु खा पठान निवासी हाल सरदारनगर
- 18- सलमा बानु पत्नी शहाबुदीन उर्फ नानु खा पठान निवासी हाल सरदारनगर
- 19- तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- 20/05/2022


प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1459 रकबा 0.2909 है0 कुल किता 1 रकबा 0.2909 के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1459 रकबा 0.2909 है0 कुल किता 1 रकबा 0.2909 भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर संयुक्त खातदोरी खातेदार है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1459 रकबा 0.2909 है 0 कुल किता 1 रकबा 0.2909 भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।


निर्णय आज दिनांक 20/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कैंप कोर्ट मुख्यालय सरदारनगर पर सुनाया गया।

  
(अशुल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा